

संख्या-06/एफ1-01/2026 श्र0सं0...

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक

राजीव रंजन,  
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना-ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के प्रशिक्षण शिविरों का संगठन के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य श्रेणी के श्रमिकों हेतु ₹ 1,70,00,000/- (₹ एक करोड़ सत्तर लाख) मात्र एवं अनुसूचित जाति के श्रमिकों हेतु ₹ 70,00,000/- (₹ सत्तर लाख) मात्र अर्थात् कुल ₹ 2,40,00,000/- (₹ दो करोड़ चालीस लाख) मात्र के लागत पर व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाकर जागृति लाने तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी देने हेतु अन्य शिविर एवं श्रम कल्याण दिवस (17, सितम्बर) के अवसर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सेमिनार, सिमपोजियम आदि का आयोजन जिला के मुख्यालय स्तर पर किये जाने के उद्देश्य से राज्य योजना ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन क्रियान्वित की जा रही है। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 2,40,00,000/- (₹ दो करोड़ चालीस लाख) मात्र का बजट उपबंध स्वीकृत है। इसके वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि शत प्रतिशत रहने की सम्भावना है। इस स्वीकृत बजट उपबंध के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि0 दिनांक 03.12.2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न प्रकार से व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2. (i) **ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के सामान्य श्रमिकों के लिए-** मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) के अंतर्गत-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
<b>20- अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	
0101.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	1,00,00,000
0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय	70,00,000
<b>योग-26-2230.01.103.0101- ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन</b>	<b>1,70,00,000</b>

(₹ एक करोड़ सत्तर लाख) मात्र।

(ii) **ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए -**

मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास -उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230017890101) के अंतर्गत-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
<b>20- अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	
0101.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	32,00,000
0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय	38,00,000
<b>योग-26-2230.01.789.0101- ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन</b>	<b>70,00,000</b>

(₹ सत्तर लाख) मात्र।




3. यह चालू योजना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2236 दिनांक-02.05.2025 द्वारा अवधि विस्तार एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
4. वित्तीय वर्ष 2026-27 में उचित इकाईयों से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक एवं श्रमायुक्त के सचिव होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे।
6. उक्त राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार एवं विकास भवन कोषागार, पटना से की जायेगी।
7. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
8. इस योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,  
ह०/-  
(राजीव रंजन)  
संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-06/एफ1-01/2026 श्र0सं0- 2122

पटना, दिनांक- 16/4/26

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग /कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना /सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारी /श्रमायुक्त के सचिव, पटना /प्रशाखा-02(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
15-4-26  
(राजीव रंजन)  
संयुक्त सचिव।